



GOVERNMENT OF INDIA

भारत सरकार

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

Central Zoo Authority

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण

REGISTERED POST

दिनांक: 10-05-2018

फा0सं0: 13-4/2006-सीजेडए (खण्ड: VIII)(पार्ट) / 3092/2018

सेवा में,

श्री अशोक वर्मा,
301, अन्नीलक्ष्मी एपार्टमेंट, नार्थ, ऑफिस पाड़ा,
डोरण्डा, पो0-डोरण्डा, राँची - 834 002,
झारखण्ड

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना वाबत् ।

सन्दर्भ: आपके के पत्र दिनांक 27-04-2018, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत।
महोदय,

कृपया ऊपर सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करें। जिसमें आपके द्वारा भगवान बिरसा जैविक उद्यान, राँची में निर्मित मछलीघर के निर्माण से सम्बन्धित जानकारियाँ माँगी गई हैं। इस सम्बन्ध में यह अवगत कराया जाता है कि माँगी गई सूचना क्रम संख्या 2 को छोड़ कर अन्य सूचनाएं भगवान बिरसा जैविक उद्यान, राँची से सम्बन्धित है। अतः सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के तहत आप के आवेदन पत्र को लोक सूचना अधिकारी, भगवान बिरसा जैविक उद्यान को अग्रेषित किया जा रहा है।

क्रम संख्या 2 के सम्बन्ध में आपको यह अवगत कराया जाता है कि भगवान बिरसा जैविक उद्यान, राँची के परिसर में मछली घर के निर्माण की स्वीकृति केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से नहीं ली गई है जो कि सांविधिक प्रावधानों का उल्लंघन है। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र दिनांक 01-05-2018 के माध्यम से निदेशक, भगवान बिरसा जैविक उद्यान, राँची से सांविधिक प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

यदि आप उक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो निम्नलिखित अपीलीय अधिकारी के समक्ष एक महीने के अन्दर अपील कर सकते हैं:-

सदस्य सचिव, के.चि.प्रा. एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
बी-1 विंग, छठा तल, पं. दीनदयाल अंत्योदया भवन,
सी.जी. ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली - 110 003

भवदीय

(रविन्द्र सिंह रावत)

लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:-

लोक सूचना अधिकारी, भगवान बिरसा जैविक उद्यान, चकला, ओरमांड़ी, राँची-835 219 (झारखण्ड) - इस सम्बन्ध में यह अनुरोध किया जाता है कि श्री अशोक वर्मा को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत माँगी गई वांछित सूचनाएं उपलब्ध करायी जाए। आवेदन की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।